

(देखिए धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956)

59/2018
5/6/18

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
मसूदा

विषय:- जमाबन्दी खाता 87 में इन्द्राज दुरुस्ती के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डुलीखेडा की जमाबन्दी में खाता संख्या 87 पर आवेदक का नाम राजदेव बंस राज राई दर्ज है जबकि आवेदक का सही नाम S.B.B.5 है अतः आवेदक के खाते में सही नाम दर्ज करवाने की कृपा करें।

संलग्न:- साक्ष्य दरतावेज

Rande
प्रार्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर गवाह मय नाम

जांच रिपोर्ट

महोदय,
रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2073-73 ग्राम डुलीखेडा के खाता संख्या 87 में प्रार्थी S.B.B.5 जाति/प्रविष्टि S.B.B.5 दर्ज है इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम प्रविष्टि S.B.B.5 सही करवाना चाहता है मैंने इसकी जांच करली है। प्रस्तावित प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित जाति/नाम दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी हल्का S.B.B.5 हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक 5/6/18 नायब तहसीलदार

कार्यालय तहसीलदार (भू-अभिलेख) मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक भूअ./ 2018/07 दिनांक 8-6-18
मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अनुस्मर प्रार्थी S.B.B.5 जाति S.B.B.5 निवासी डुलीखेडा नाम/जाति/प्रविष्टि S.B.B.5 मुताबिक रिकार्ड S.B.B.5 दर्ज है जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर S.B.B.5 दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज०

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक/ सीडर/18/194 दिनांक 8/6/18
तहसीलदार मसूदा/बिजयनगर की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री राजदेव बंस राज राई S.B.B.5 जाति डुलीखेडा निवासी डुलीखेडा का नाम/जाति/प्रविष्टि S.B.B.5 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राई के स्थान पर S.B.B.5 दुरुस्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेश चौधला)
मसूदा (अजमेर)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०
k

